477

सं० / 43020 / एमएसीपी / जे०सी०बी० / मु०प्र०अ० / का–2 (बी)

रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मु०प्र०अ० कार्यालय

विषय : संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय / अंतर सेवा संगठनों में जिल्दसाज श्रेणी–। संवर्ग के कार्मिक को सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034 / 3 / 2015–स्था० (डी), दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में विहित नियमों एवं दिशा–निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय / अंतर सेवा संगठनों में जिल्दसाज श्रेणी–। संवर्ग के अधोलिखित कार्मिक को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:–

क्र० स०	नाम (श्री) एवं जन्मतिथि	वर्तमान पद एवं कार्यालय	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि एवं पद	आमेलन के बाद पद, तिथि एवं वेतनमान	एसीपी / एमएसीपी हेतु सेवा गणना की तिथि	प्रदान की जाने वाली तृतीय वित्तीय उन्नयन का लेवल एवं तिथि
क.	श्याम नारायण राम (12.07.61)	जिल्दसाज श्रेणी–। (वा०से०मु०)	10.07.84 मजदूर	04.12.89 जिल्दसाज सहायक (₹3,050–4,590) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल–2)	04.12.89	लेवल–5 04.12.19

2. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(I) क (i) के अंतर्गत, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगले लेवल में वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है।

4. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा–निर्देशों के अध्याधीन होंगें।

(प्रियम्वदा शर्मा)
व०प्र०अ० / का–2 (बी)
14 फरवरी 2020

वा०से०मु / पी०सी० –।।

प्रतिलिपि :

उप मुप्रअ(का) के निजी सहायक
मु०प्र०अ० / एपीएआर (का–2) सेल
संबंधित कर्मचारी
स०से०मु० / अं०से०सं के कर्मचारी संघ
सूचना पटल
मुप्रअ वेबसाइट